संख्या-97/2025/I/923851/71-1002/53/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष 64 सीटेड पी0जी0 छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/784, दिनांक 09.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष 64 सीटेड पी0जी0 छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगान रू0 6.8744 करोड़ उपलब्ध कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकन कराकर प्रशा0 एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई-II/8035777, दिनांक 25.11.2022 द्वारा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "Strengthening and upgradation of State government medical colleges for starting new PG disciplines and increasing PG Seats" (Phase-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 20.40 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **64 सीटेड पी0जी0 छात्रावास के निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 681.21 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-89-27-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0 बी0 बी0 एस0 एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की **प्रथम किश्त** के रूप में **रू0 340.605 लाख (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख साठ हजार पॉच सौ मात्र)** की धनराशि राज्यांश के रूप में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते से हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. प्रायोजना प्रस्ताव रिवायरिंग/विद्युतीकरण कार्य से सम्बन्धित है। अत: प्रभाग का मत है कि प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो, इस समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कार्य कराया जाए।

2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

4. प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ एंव पर्यावरणीय क्लियरेनस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

6. प्रयोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न मदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो। इस मद हेतु धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

8. प्रायोजना का आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एंव तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य केा सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

13. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

15. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4 - इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,40,60,500 (रूपये तीन करोड चालीस लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-031 के लेखाशीर्षक 4210031058927 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-529/दस/2024-25, दिनांक 27.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.11.2022 के संदर्भ में।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी , बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।